कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती इन्दु पूनिया, प्रधानाचार्य, राउमावि घरड़ाना रायपुर जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि धुंधाला, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली किया गया था जिसके विरूद्ध इन्दु पूनिया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 939/2021 इन्दु पूनिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 939/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा अपीलार्थी इन्दु पूनिया को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 2 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा होने एवं अपनी माताजी के लकवा रोग से ग्रस्त होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि झांझा, बुहाना जिला झुन्झुनूं/राउमावि उतरादा बास, भादरा जिला हनुमानगढ अथवा राउमावि अनूपशहर, भादरा जिला हनुमानगढ में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों में विधवा श्रेणी की महिला कार्मिक को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में एवं अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती इन्दु पूनिया, प्रधानाचार्य, स्थानान्तरणाधीन, राउमावि धुंधाला, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली का पदस्थापन स्थान संशोधित करते हुए इनका समायोजन इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राउमावि उतरादा बास, भादरा जिला हनुमानगढ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/इन्दु पूनिया/939/2021/194 **दिनांकः** 18/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली/बीकानेर संभाग, पाली/बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली/हनुमानगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक पाली/हनुमानगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती इन्दु पूनिया, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि धुंधाला, पाली को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)